MOST-URGENT
PMAY-S

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27 (36)ग्राविवि–5/सां./District Information/2018–19 **दिनांक 03 अक्टूबर, 2018**

जिला कलक्टर,
जिला समस्त (बांसवाड़ा को छोडकर)।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण अंतर्गत चिन्हित वंचित पात्र परिवारो की जानकारी "आवास प्लस एप" के माध्यम से आवाससॉफ्ट पर अपलोड कराने बाबत।

प्रसंग :– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र दिनांक 19.3.18 एवं 24.1.18 तथा विभागीय पत्र दिनांक 21.3.18, 29.6.18, 31.07.18, 31.08.18, 14.09.18 व 26.09.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चिन्हित वंचित पात्र परिवारों की जानकारी "आवास प्लस एप" के माध्यम से आवाससॉफ्ट पर **दिनांक 30.09.18 तक** अपलोड किया जाना निर्धारित किया गया, जिस कम में प्रासंगिक पत्रों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण अंतर्गत चिन्हित वंचित पात्र परिवारो की जानकारी "आवास प्लस एप" के माध्यम से आवाससॉफ्ट पर दिनांक 30.09.2018 तक शत्–प्रतिशत परिवारों की जानकारी अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया था।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित तिथि 30.09.2018 के उपरान्त "आवास प्लस एप" बंद कर दिया गया है। आवाससॉफ्ट से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 03.10.2018 के अनुसार राज्य में 14,62,821 लाभार्थियो में से मात्र 7,55,272 (51%) परिवारों की जानकारी ही अपलोड की गई है अर्थात् अभी भी 7,07,549 (49%) परिवारों की जानकारी अपलोड किया जाना बकाया है। जिससे स्पष्ट है कि विभागीय निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जो खेदजनक है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने स्तर से प्रगति की समीक्षा करें एवं वंचित पात्र परिवारों की जिला अपीलेट कमेटी द्वारा सत्यापित सूची के अनुसार बकाया चिन्हित वंचित पात्र परिवारों की जानकारी ऑफलाईन दिनांक 10.10.2018 तक संकलित कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार स्तर से विशेष शिथिलता प्राप्ति पर "आवास प्लस एप" पुनः सक्रिय होने पर सूचना उसी दिन ऑन लाइन अपलोड की जा सके।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(राजेश्वर सिंह)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं परावि, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रावि एवं परावि, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, (बांसवाड़ा को छोडकर) समस्त।
4. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

3/10/18
स्टेट नोडल अधिकारी–PMAY-G

ग्राम सभाओं में अनुमोदन उपरांत ब्लॉक/जिला स्तरीय कमेटी द्वारा सत्यापित सूची के अनुसार चिन्हित पात्र परिवारों की संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	चिन्हित पात्र परिवारों की संख्या	आवास सॉफ्ट पर अपलोड परिवारों की संख्या	Balance	Balance %
1	2	3	4	5	6
1	KARAULI	20558	8	20550	100
2	BHARATPUR	9952	505	9447	95
3	SIROHI	29226	1803	27423	94
4	PALI	29912	2141	27771	93
5	JAIPUR	20135	2101	18034	90
6	JODHPUR	74260	9991	64269	87
7	BUNDI	56163	10500	45663	81
8	JHUNJHUNU	3754	812	2942	78
9	KOTA	34199	7541	26658	78
10	BHILWARA	66038	15970	50068	76
11	JHALAWAR	99615	27225	72390	73
12	HANUMANGARH	35510	10822	24688	70
13	BARMER	114972	39245	75727	66
14	DHOLPUR	7491	3109	4382	58
15	CHURU	25610	11724	13886	54
16	RAJSAMAND	28781	13662	15119	53
17	ALWAR	12487	6008	6479	52
18	PRATAPGARH	43345	22066	21279	49
19	TONK	57372	31105	26267	46
20	JAISALMER	25693	14193	11500	45
21	UDAIPUR	126060	68826	57234	45
22	SAWAI MADHOPUR	50131	31705	18426	37
23	JALORE	27427	18125	9302	34
24	DUNGARPUR	76303	53701	22602	30
25	SIKAR	5978	4166	1812	30
26	BARAN	63502	46071	17431	27
27	AJMER	23193	18115	5078	22
28	CHITTORGARH	39367	32571	6796	17
29	SRI GANGANAGAR	60436	51407	9029	15
30	BIKANER	60097	55238	4859	8
31	NAGAUR	39776	37824	1952	5
32	DAUSA	6704	6647	57	1